

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001

फोन : 0522 - 2238846, 2236600, फैक्स : 0522-2237800



पत्रांक सं०108921/17

दिनांक19/12/17

अत्यन्त महत्वपूर्ण

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,
समस्त नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र,
उत्तर प्रदेश।

महोदय/महोदया,

कृपया निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का दिनांक 15.01.2018 तक अनुपालन अविलम्ब सुनिश्चित किया जाये-

1. सभी प्रशिक्षण केन्द्र अपनी मेल-आईडी0 upsmfac~~XXXX~~-(सेन्टर कोड) @ gmail.com के अनुसार बनाये एवं जो भी मेल इस कार्यालय में भेजे जाये इसी अधिकृत मेल से भेजा जाय।
2. सभी प्रशिक्षण केन्द्र अपनी अधिकृत वेबसाइट बनायें व इस कार्यालय की वेबसाइट से लिंक करें एवं अपने प्रशिक्षण केन्द्र की सभी सूचनायें यथा मान्यता प्राप्त सीट, निर्धारित शुल्क, प्रवेशित छात्र/छात्राओं की सूची, प्रशिक्षण हेतु निर्धारित अस्पताल का विवरण एवं क्लास रूम की फोटो, प्रशिक्षण केन्द्र की फोटो व अन्य सभी शासनादेशों की प्रति अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें।
3. भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली के मानक के अनुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होनी आवश्यक है।
4. आपके प्रशिक्षण केन्द्र का कभी भी औचक निरीक्षण किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर मान्यता/सम्बद्धता समाप्त करने की संस्तुति की जा सकती है।
5. आपके प्रशिक्षण केन्द्र में नियुक्त वर्तमान टीचिंग फैकल्टी का लॉगिन पैनल में अपडेट करना सुनिश्चित करें।
6. समस्त टीचिंग फैकल्टी को इस कार्यालय द्वारा एक यूनिक आईडी0 प्रदान की जायेगी जिसका प्रयोग संबंधित टीचर किसी भी प्रशिक्षण केन्द्र में नियुक्त होने के पूर्व प्रयोग करेगा। उपरोक्त दिशा-निर्देशों का प्राथमिकता के आधार पर तत्काल पालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

सचिव

उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी।